अंचल का कार्यालय .... जिला – कोडरमा

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आय प्रमाण–पत्र हेतु प्रपत्र – 'ख'

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति श्री .... ग्राम/मुहल्ला .... पो0 .... थाना .... जिला .... के माता पिता अथवा स्वयं की आय –

वर्गों की विवरणी :–

1. संवैधानिक पदों पर पदस्थापित हैं/नहीं हैं।
2. क) केन्द्रीय/राज्य सेवाओं में वर्ग – 1 के पदाधिकारी हैं/नहीं हैं।
   ख) केन्द्रीय/राज्य सेवाओं में वर्ग – 2 के पदाधिकारी हैं/नहीं हैं।
   ग) सरकारी पद/बीमा कम्पनियों/विश्वविद्यालयों/ आय में समकक्ष के पदों पर पदस्थापित अथवा निजी क्षेत्रों में समकक्ष पदों पर पदस्थापित हैं/नहीं हैं।
3. सशस्त्र अथवा पारा मिल्ट्री सेना में कर्नल या उच्च पदाधिकारी हैं/नहीं हैं।
4. पेशे/धंधे एवं उद्योग में लगे व्यक्ति
   क) पेशों में डॉक्टर/इंजिनियर/सर्जन/वकील चार्टड एकाउण्टेन्ट/इनकम टैक्स कन्सलटेन्ट/मैंनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट/कम्प्यूटर स्पेशलिस्ट/फिल्मी धंधे में लेखक/नाटककार/खिलाड़ी/पत्रकार/प्रोफेशनल खिलाड़ी आदि अन्य धंधे में हैं/नहीं हैं।

संवैधानिक पद – राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/उच्चतम न्यायालय एवं अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश/केन्द्रीय एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य/मुख्य चुनाव आयुक्त/लेखा परीक्षक एवं नियंत्रक। ऐसे व्यक्ति आजीवन संवैधानिक पदों पर आसीन है।

नोट :– कोटि (4) में अंकित इनकम/वेल्थ टैक्स, इसमें (क) एवं (ख) लागू होगा।

(क) माता/पिता/स्वयं/पारिवारिक सकल वार्षिक आय एक लाख रूपये या अधिक/कम है/नहीं है।

नोट :– सकल आय शुद्ध आय से भिन्न है। इसमें आमदनी का आकलन बिना किसी प्रकार के व्यय या निवेश के घटाकर किया जायेगा।

5. ट्रेड/उद्योग अथवा व्यापार में

हैं/नहीं हैं ?

यदि हैं तो किस वस्तु में। यदि ट्रांसपोर्ट में हैं तो कितनी ट्रक/बस/मिनीबस/मैक्सी/ट्रेकर चलती है तथा प्रतिदिन का सकल आय ?

यदि कपडे के व्यापारी हैं तो कितनी दूकानें हैं, कितनी बिक्री पिछले तीन वर्षों में हुई है ?

यदि उद्योग में है तो किस चीज का कारखाना है ? संख्या, मासिक आय, उत्पादन तथा सकल आय ?

पत्थर या खनिज का लीज है तो लीज क्षेत्र का रायल्टी, चालान से वार्षिक आय का आकलन किया जाय।

ठीकेदारी करते हैं तो तीन वर्षों का ब्यौरा तथा सकल आय।

नोट :– स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया जाय कि आवेदक का परिवार या स्वयं उपर्युक्त में से कुछ भी धारित नहीं करते हैं अथवा करते हैं तो इनकम/वेल्थ टैक्स भी पूर्ण रूप से भरा जाय।

उदाहरण : डॉक्टर के मामले में देखा जाय कि प्रतिदिन कितने रोगी देखते हैं ? फीस क्या है ?सरकारी सेवा में हैं तो प्रतिमाह वेतन क्या है ? यदि सर्जन हैं तो इसके अतिरिक्त ऑपरेशन फीस क्या हैं ?

इसी प्रकार अन्य धंधे में लगे व्यक्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना दी जाय कि आकलन का आधार क्या है ?

(ख) माता/पिता/स्वयं परिवार की सम्पत्ति गत तीन वर्षों में सम्पत्ति कर अधिनियम के तहत निर्धारित छूट (एक्जेम्शन) लिमिट सीमा से अधिक है/नहीं है।

छूट सीमा की जानकारी गत तीन वर्षों के लिए स्थानीय आयकर अधिकारी से प्राप्त की जाय।

सम्पत्ति का विवरण :

1. जमीन का ब्योरा   खाता   प्लॉट   रकवा   मूल्य

2. कृषि कार्य में प्रयुक्त जमीन तथा उसका मूल्य –
3. जमीन पर बने मकानों का विवरण तथा मूल्य –
4. यदि मकान भाड़े पर लगाया गया है तो किराये से प्राप्त मासिक आय–
5. ट्रक/बस/मैक्सी/ट्रेकर/कार/जीप/अन्य दुपहिया वाहन की विवरणी तथा बाजार मूल्य –
6. सोने/चांदी/हीरे/जवाहरात के जेवर, बुलियन आदि का मूल्य –
7. शेयर/डिवेंचर/बैंक डिपोजिट का पिछले तीन वर्षों की विवरणी तथा मूल्य –

(ख) प्लान्टेशन –

1. कॉफी, चाय, रबर आदि के पौधे है/नहीं है ?

2. आम, साइट्रस, केला, सेव आदि के बगीचे है/नहीं है ?

3. रैयती जमीन पर शीशम साल आदि सभी प्रकार के वृक्षों का विवरण ?

4. परती जमीन तथा शहरी जमीन पर भवन आदि ?

(3)

परिवार (माता पिता एवं बच्चाsa) द्वारा कृषि योग्य जोत क्षेत्र –

1. सिलिंग द्वारा निर्धारित सीमा के बराबर या उसके 85% तक पूर्ण सिंचित जोत क्षेत्र धारित करते हें या उससे कम धारित करते हैं।

2. सिंचित एवं असिंचित दोनों प्रकार की भूमि धारित करते हैं । असिंचित भूमि को सिंचित भूमि में परिवर्तन करने पर तथा सिंचित भूमि के साथ योग करने पर सिंचित भूमि सिलिग सीमा के 85% से अधिक है/कम है तथा पूर्ण सिंचित भूमि (असिंचित को छोड़कर) सिलिग अधिसीमा के 40% से अधिक/कम है।

3. आधारित जोत क्षेत्र पूर्णतः असिंचित है तथा सिलिंग अधिसीमा से कम/अधिक है।

उपरोक्त (क) तथा कोटि (5) के अनुसार आकलन किया जाय तथा फलों की बिक्री से सकल वार्षिक आय क्या है, कितने खाता प्लॉट, रकवा, पेड़ों की संख्या आदि का विवरण दें –

वृक्षों की संख्या –

प्रकार –

बाजार मूल्य –

भवन आवासीय उद्योग या व्यवसायिक उद्देश्य से प्रयुक्त होता है तो कोटि (5) लागू होगा।

सिंचित क्षेत्र के लिए सिंलिग सीमा एवं आवेदक के परिवार द्वारा धारित कुल सिंचित जोत क्षेत्र का उल्लेख करें। असिंचित क्षेत्र के लिए अधिसीमा तथा आवेदक के परिवार द्वारा धारित सिंचित/असिंचित जोत क्षेत्र का उल्लेख करें । जोत क्षेत्र का पूर्ण विवरण दें ।

6. इनकम/वेल्थ टैक्स

(क) माता/पिता/स्वयं परिवार की सकल वार्षिक आय एक लाख रूपये या उससे अधिक है/नहीं है।

नोट : सकल आय, शुद्ध (नेट) आय से भिन्न है। इसमें पूरी आमदनी का आकलन बिना किसी प्रकार के व्यय या निवेश को घटा कर किया जायेगा। सकल आय में कृषि, व्यापार, दुकान, लॉज, मकान, बगीचा, होटल, ठीकेदारी आदि विभिन्न श्रोतों से प्राप्त सकल आय निहित होगा। कोई व्यय इसमें से नही घटा है। विवरणी द्वारा वर्णित श्रोतों से प्राप्त आय का उल्लेख करें।

(ख) माता/पिता/स्वयं परिवार की सम्पत्ति गत तीन वर्षों में सम्पत्ति कर अधिनियम के तहत निर्धारित छूट (एक्जेम्शन) लिमिट सीमा से अधिक है/नही है।

छूट सीमा की जानकारी गत तीन वर्षों के लिए स्थानीय आयकर अधिकारी से प्राप्त की जाय।

सम्पत्ति का विवरण

1. जमीन का ब्योरा खाता प्लॉट रकवा मूल्य
2. कृषि कार्य में प्रयुक्त जमीन तथा उसका मूल्य –
3. जमीन पर बने मकानों का विवरण तथा मूल्य –
4. यदि मकान भाड़े पर लगाया गया है तो किराये से प्राप्त मासिक आय–
5. ट्रक/बस/मैक्सी/ट्रेकर/कर/जीप/अन्य दुपहिया वाहन की विवरणी तथा बाजार मूल्य –
6. सोने/चाँदी/हीरे/जवाहरात के जेवर, बुलियन आदि का मूल्य –
7. शेयर/डिबेंचर/बैंक डिपोजिट का पिछले तीन वर्षों की विवरणी तथा मूल्य –

आवश्यक/इनकम वेल्थ टैक्स सब पर लागू होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त सभी तथ्यों की समुचित जाँच कर जी गई है, तदनुसार श्री ————————————————
परिवार की समस्त श्रोतों से सकल वार्षिक आय रू0 ———————— (शब्दों में) ———————————————— हैं,
परिवार द्वारा धारित सम्पत्ति का मूल्य ———————— (शब्दों में) ———————————————— है।

जाति :

स्थान :

दिनांक :

अंचल अधिकारी :

अंचल का नाम :

जिला :

आवेदन का प्रपत्र

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)/केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) (क्रीमीलेयर रहित) प्रमाण–प्रत्र हेतु

1.	आवेदक/आवेदिका का नाम				
2.	आधार संख्या (यदि हो तो) :– आधार कार्ड में दर्ज पता :–				
3.	मोबाईल नं0 (यदि हो ता) :–				
4.	जन्म तिथि :–	5.	पुरूष ( )	महिला ( )	ट्रांसजेंडर ( )
6.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची II)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी. केन्द्र सूची) (उल्लेख करें) :–	7.	उपजाति :–		
8.	धर्म :–				
9.	आवासीय पता :–				
(क)	स्थाई पता :– गाँव/मुहल्ला .... प्रखण्ड .... डाकघर .... थाना .... अनुमण्डल .... जिला .... पिन .... राज्य				
(ख)	वर्तमान पता :– गाँव/मुहल्ला .... प्रखण्ड .... डाकघर .... थाना .... अनुमण्डल .... जिला .... पिन .... राज्य				
10.	पिता का नाम :–				
11.	पिता की जाति :–				
12.	पिता का पेशा :–				
13.	पिता का PAN :–				
14.	माता का नाम :–				
15.	माता की जन्म तिथि :–				
16.	माता का पेशा:–				
17.	माता का PAN :–				
18.	पति का नाम :–				
19.	पति की जाति :–				

20.	प्रमाण प्रत्र की श्रेणी (जिस श्रेणी के प्रमाण प्रत्र हेतु आवेदन किया जाना है, उसके सामने ☐ का निशान लगायें) NCL - Non Creamy Layer	1. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) – केन्द्र प्रयोजनार्थ (NCL) 2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची I) – राज्य प्रयोजनार्थ (NCL) 3. पिछड़ा वर्ग (अनुसूची II) – राज्य प्रयोजनार्थ (NCL) 4. अन्य पिछड़ा वर्ग – आव्रजित श्रेणी (NCL)	
21.	केन्द्र की सूची में पिछड़ी जाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या (केन्द्र प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)	क्रमांक- .... संकल्प सं0-	
22.	झारखण्ड राज्य की सूची में पिछड़ी जाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या (राज्य प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)	क्रमांक- .... संकल्प सं0-	
23.	आव्रजित श्रेणी के केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के मामले में मूल्य राज्य की सूची में केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग का क्रमांक एवं संकल्प संख्या	क्रमांक- .... संकल्प सं0-	
24.	आव्रजित श्रेणी के केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के मामले में पिता को निर्गत प्रमाण पत्र संख्या एवं प्रमाण पत्र निर्गत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम	प्रमाण पत्र सं0- .... प्राधिकृत पदाधिकारी............	
25.	अभिभावक/पिता की स्थिति	पिता	माता
Category(I)	संवैधानिक पद		
	क्या आवेदक के माता/पिता संवैधानिक पद धारण करतें हैं?		
	संवैधानिक पद का पदनाम		
Category(II)	केन्द्र अथवा राज्य में नियोजन का पद		
	क्या आवेदक के माता/पिता केन्द्र/ राज्य अथवा सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं?		
	यदि हाँ, तो सरकारी सेवा में नियुक्ति से संबंधित निम्नलिखित विवरणी		
	केन्द्र अथवा राज्य की सेवा में नियुक्ति का वर्ग (ग्रुप A/B/C/D/I/II/III/IV)		
	केन्द्र अथवा राज्य की सेवा में वर्तमान वर्ग (ग्रुप A/B/C/D/I/II/III/IV)		
	यदि वर्ग B से वर्ग A में प्रोन्नति 40 वर्ष के बाद हुई है तो नियोजन से इस आशय का प्रमाण प्रत्र अनिवार्य		
	अन्तर्राष्ट्रीय सेवा में नियोजित जैसे–यूनिसेफ यू0 एन0 डबलू0 एच0 ओ0		
	संगठन का नाम		
	पदनाम		
	सेवा का नाम एवं अवधि		

	क्या आवेदक के पिता केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंक/जीवन बीमा संगठन या किसी अन्य सार्वजनिक उपक्रम में कार्यपालक पद (Executive) या उच्चतर पद पर पदस्थापित हैं?		
	यदि कार्यपालक पद पर 40 वर्ष के बाद प्रोन्नति की गई है, तो प्रोन्नति से संबंधित कार्यलय प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय		
	अन्य वेतनभोगी कर्मचारी		
	संगठन का नाम		
	पदनाम		
	सेवा का नाम एवं नियुक्ति की तिथि		
Category (III)	आर्म्ड फॉर्स/पारा मिलिट्री		
	पदनाम		
	क्या धारित पद आर्मी के कर्नल या उच्चत्तर पद अथवा नेवी, एयरफोर्स एवं पारा मिलिट्री फोर्स का समकक्ष पद है?		
Category (Iv)	प्रोफेशनल/स्व नियोजित एवं व्यवसाय/उद्योग/व्यापार करने वाले व्यक्ति		
	कृपया पेशा, उद्योग एवं व्यापार के संबंध में विवरणी दें		
	कुल वार्षिक आय		
Category (v)	सम्पत्ति मालिको के लिए		
	कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल		
	सिंचित/असिंचित भूमि का क्षेत्रफल		
	सिंचित भूमि का प्रतिशत		
	फसल की किस्म		
	यदि व्यावसायिक फसल, यथा, रबर, कॉफी, चाय, मसाले इत्यादि का उत्पादन किया जाता है, तो अंतिम तीन वर्षो का वार्षिक आय (आयकर रिटर्न की विवरणी संलग्न करें)		
Category (vI)	अन्य स्रोतों से आय – प्रोफेशनल सेवा, व्यापार, वाणिज्य, किराया, इत्यादि		
	1. आय का स्रोत (वेतन एवं कृषि से आय के स्रोत को छोडकर)		
	प्रोफेशनल सेवा		
	व्यापार		
	वाणिज्य		

	रबर, कॉफी, चाय, मसाले के उत्पादन से आय				
	किराया से आय				
	अन्य				
		रिटर्न सं0	वर्ष	राशि	
				पिता	माता
	ll. विगत लगातार तीन वर्षो की वार्षिक आय (आयकर रिटर्न संलग्न)				

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है और पूर्ण विश्वास है कि मैं क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं हूँ और अन्य पिछड़ा वर्ग के दायरे में हूँ । अगर कोई सूचना गल्त पायी गई तो मेरा नियोजन/नामांकन रद्द करते हुए धारा 193 भा0द0वि0 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई की जा सकती है ।

माता का हस्ताक्षर पिता का हस्ताक्षर आवेदक/आवेदिक का हस्ताक्षर

नोट :-

1. उपर्युक्त कंडिका 25(IV) एवं 25(V) के अन्तर्गत आनेवाले व्यक्तियों के आय निर्धारण का मानदण्ड कंडिका 25(VI) के आधार पर होगा। कंडिका 25(II) एवं 25(III) के अधीन आनेवाले आवेदक जो आरक्षण का लाभ हेतु अन्यथा पात्रता रखते हैं परन्तु यदि उनकी आय कृषि एवं वेतन को छोडकर अन्य स्रोतों से है, तो केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिवर्ष आय के मानदण्ड के अनुसार कंडिका 25(VI) के आधार पर क्रीमीलेयर की पात्रता निर्धारित की जायेगी ।
2. इस प्रपत्र का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु किया जायेगा ।

घोषणा पत्र

आवेदक के द्वारा स्वयं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) /पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) का जाति प्रमाण पत्र के निमित्त (क्रीमीलेयर रहित)

मैं .... पिता .... झारखण्ड राज्य की/के स्थाई निवासी हूँ/हैं और मैं/मेरे पूर्वज दिनांक–10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूची–I/पिछड़ा वर्ग, अनुसूची–II के मामले में)/दिनांक–15.03.1993 (अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में) के पूर्व से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अवस्थित पते
गाँव/मुहल्ला .... प्रखण्ड ....
डाकघर .... थाना................................ अनुमण्डल ....
जिला .... पिन कोड .... राज्य .... निवासी हूँ/रहें हैं ।

अथवा,

मैं .... पिता ....
राज्य .... की/के मूल निवासी हूँ/हैं और मैं/मेरे पूर्वज व्यवसाय/ पेशा/आजीविका/अन्य प्रयोजन हेतु आव्रजित होकर झारखण्ड राज्य में वर्ष .... से लगातार निवासित हूँ/हैं ।

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ ।
2. मेरा आधार नं0 (यदि हो तो) :-
3. मेरा मोबाईल नं0 (यदि हो तो) :-
4. मैं गाँव/मुहल्ला .... प्रखण्ड .... डाकघर .... थाना .... अनुमण्डल .... जिला .... पिन.............. राज्य .... के पते पर साधारणतः निवास करता/करती हूँ ।
5. मैंने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के .... जाति के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन समर्पित किया है, जो कि भारत सरकार/झारखण्ड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के रूप में सूचीबद्ध है ।
6. मेरे माता/पिता में से कोई भी भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के अधीन ग्रुप ए/क्लास I के पद पर अथवा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनी एवं शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा ग्रुप ए के समकक्ष पद पर गैरसरकारी सेवा में अथवा किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं ।
7. मेरे माता और पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) में दोनों भारत सरकार/ झारखण्ड सरकार के अधीन ग्रुप बी/क्लास II के पद पर अथवा भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कपनी एवं शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा ग्रुप बी के समकक्ष पद पर गैरसरकारी सेवा में नहीं हैं ।
8. मेरे माता/पिता की वेतन से वार्षिक आय रूपये .... है ।
9. मेरे माता/पिता की कृषि से वार्षिक आय रूपये .... है ।
10. मेरे माता/पिता की अन्य स्रोतों से व्यापार सहित कुल वार्षिक आय रूपया .... है ।

11. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक-08.09.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-360112/22/93-स्था० (एस०सी०टी०) में निहित आदेश की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ ।

12. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं मौजा .... खाता .... प्लॉट संख्या ....
पंचायत/वार्ड .... के खतियानी रैयत .... का/की .... हूँ ।
खतियानी रैयत का नाम .... (हाल सर्वे/साबिक सर्वे) सर्वे वर्ष :-

↓

प्रथम पीढ़ी....................................

द्वितीय पीढ़ी....................................

↓

तृतीय पीढ़ी....................................

↓

चतुर्थ पीढ़ी....................................

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

13. मैं/मेरा परिवार झारखण्ड राज्य में स्थायी तौर पर निवासित हैं तथा मुझे देश के किसी अन्य राज्य से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है । (यह कण्डिका आव्रजित श्रेणी के आवेदकों के मामले में लागू नहीं है ।)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है । अगर कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरे पुत्र/पुत्री का नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 183 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् कारवाई की जा सकती है ।

आवेदक के पिता/माता का हस्ताक्षर
(पिता/माता का नाम :-....................................)

नोट :-

1. इस प्रपत्र का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) अथवा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए स्वघोषणा हेतु किया जायेगा ।
2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के बिना क्रीमीलेयर रहित प्रमाण प्रत्र हेतु स्वघोषणा पत्र के लिए अलग प्रपत्र दिये गये हैं ।

वंशावली

मेरे द्वारा दिया गया वंशावली सत्य एवं सही है। गलत पाये जाने पर मैं स्वयं दण्ड का भागी बनूंगा/बनूंगी।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

वार्ड पार्षद/मुखिया का अनुशंसा :